प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 19.02.2021 (थाना कंधई)

चर्चित राइस मिल व्यापारी के साथ दिनांक 13.01.2021 को हुए लूटकाण्ड का सफल अनावरण, लुटेरे गैंग का पर्दाफाश, 06 अभियुक्त गिरफ्तार
लूट के लगभग 06 लाख 78 हजार 400 रु0, (678400/–रु0) 01 अदद पिस्टल, 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर, एक अदद तमंचा .303 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर, घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटर साइकिल, 01 अदद मारुती अर्टिगा कार बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री शिवहरी मीना के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपद में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद की स्वाट टीम व थाना कंधई पुलिस को चर्चित गल्ला व्यवसायी लूट काण्ड के 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर **लूट के लगभग 06 लाख 78 हजार 400 रु0, (678400/–रु0) 01 अदद पिस्टल, 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर, एक अदद तमंचा .303 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर, घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटर साइकिल, 01 अदद मारुती अर्टिगा कार बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।**

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. मोनू चौरसिया (उम्र लगभग 24 वर्ष) पुत्र कमलेश चौरसिया नि0 रेड़ीगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
02. कुलदीप चौरसिया (उम्र लगभग 22 वर्ष) पुत्र कमलेश चौरसिया नि0 रेड़ीगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
03. शेखर चौरसिया (उम्र लगभग 23 वर्ष) पुत्र रामकेवल चौरसिया नि0 मंगरौरा थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।
04. राजेश उर्फ जज्जे तिवारी (उम्र लगभग 28 वर्ष) पुत्र सुरेश तिवारी नि0 अकारीपुर तिवरान थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
05. सोनू चौरसिया पुत्र कमलेश चौरसिया नि0 रेड़ीगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
06. कमलेश चौरसिया पुत्र रामहरि चौरसिया नि0 रेड़ीगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

01. लूट के लगभग 06 लाख 78 हजार 400 रु0, (678400/–रु0)
02. 01 अदद पिस्टल, 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर,
03. एक अदद तमंचा .303 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर,
04. घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटर साइकिल,
05. 01 अदद मारुती अर्टिगा कार नं0 यूपी 16 ए यस 2316 बरामद

दिनांक 13.01.2021 को सुबह लगभग 09:00 बजे थानाक्षेत्र कंधई के मंगरौरा बाजार में गल्ला व्यवसायी अमरजीत चौरसिया पुत्र हरिराम चौरसिया नि0 शिवपुरम कटरा रोड थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ की मंगरौरा बाजार में स्थित आफिस से प्रवेश करते समय 02 मोटर साइकिल सवार अज्ञात अभियुक्तों द्वारा लूट को अंजाम दिया गया था। जिस सम्बन्ध में थाना कंधई में मु0अ0सं0– 18/21 धारा 392, 286 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री शिवहरी मीना द्वारा उक्त घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमें गठित कर लगातार साक्ष्य संकलन/सम्भावित स्थानों पर दबिश/चेकिंग कराई जा रही थी। आज सुबह लगभग समय 07:00 बजे थाना कंधई एवं स्वाट टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर संयुक्त रुप से चेकिंग की जा रही थी। दौराने चेकिंग थानाक्षे कंधई के ताला मोड़ पर एक अर्टिगा कार में सवार 04 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। अभियुक्तों के कब्जे से **लूट के लगभग 06 लाख 78 हजार 400 रु0, (678400/–रु0) 01 अदद पिस्टल, 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर, एक अदद तमंचा .303 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर बरामद हुआ।**

पूछताछ के आधार पर लूट में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिलें (01 पल्सर व 01 प्लेटिना मोटर साइकिल) बरामद की गयी हैं।

उक्त अभियुक्तों से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त मोनू चौरसिया तथा उसका भाई कुलदीप चौरसिया ग्राम रेड़ीगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के निवासी हैं। इनके मौसी का घर कस्बा मंगरौरा में स्थित है। मोनू चौरसिया तथा कुलदीप चौरसिया का अपने मौसा रामकेवल चौरसिया नि0 मंगरौरा के यहां आना–जाना है। दिसम्बर 2020 में रामकेवल चौरसिया के लड़के की शादी में मोनू चौरसिया तथा कुलदीप चौरसिया ने अपने मौसी के लड़के शेखर चौरसिया के साथ यह पता कर लिया था कि अमरजीत चौरसिया के पास काफी पैसा है तथा प्रतिदिन वह प्रतापगढ़ से अपने मंगरौरा आफिस में काफी रुपया लेकर आते हैं।

मोनू चौरसिया, कुलदीप चौरसिया तथा शेखर चौरसिया ने अमरजीत चौरसिया को लूटने की योजना बनायी। अपनी इस योजना में अपने एक अन्य साथी को शामिल किया तथा राजेश उर्फ जज्जे तिवारी को अपनी योजना के बारे में बताते हुए असलहा भी उपलब्ध कराने को कहा। राजेश उर्फ जज्जे तिवारी ने पिस्टल उपलब्ध कराया।

मोनू चौरसिया, कुलदीप चौरसिया, शेखर चौरसिया तथा एक अन्य साथी कई दिनों से लूट की घटना करने की फिराक में थे, परन्तु किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो पा रहे थे। अन्ततः दिनांक 13.01.2021 को मोनू चौरसिया तथा शेखर चौरसिया प्लेटिना पर सवार होकर रास्ते में रैकी की जा रही थी। ज्यों ही अमरजीत चौरसिया की गाड़ी मदाफरपुर क्रास किया त्यो ही इन लोगों ने मंगरौरा में पल्सर मोटर साइकिल पर सवार पहले से मौजूद कुलदीप चौरसिया व एक अन्य साथी को सूचना दिया। अमरजीत चौरसिया के अपने आफिस पर पहुंचने पर अमरजीत चौरसिया लघुशंका करने गाड़ी से बाहर निकल गये तथा उनका ड्राइवर रुपयों का बैग लेकर आफिस की ओर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा उसी समय वहां पहले से मौजूद कुलदीप चौरसिया तथा उसका एक अन्य साथी ने रुपयों से भरा बैग छीन लिया तथा फायरिंग करते हुए मौके से भाग गये थे।

अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर घटना में प्रयुक्त दोनों मोटर साइकिलों को मोनू चौरसिया के घर से बरामद कर लिया गया। लूट की घटना में बैग व कागजों को अभियुक्तों द्वारा जला दिया गया था। उस स्थान की मिट्टी नमूने में ली गयी है। उक्त घटना की योजना में शामिल, अभियुक्तों को शरण देने, लूट का माल छुपाने में तथा साक्ष्य मिटाने में निम्नलिखित अभियुक्त शामिल थे।

01–राजेश उर्फ जज्जे तिवारी (उम्र लगभग 28 वर्ष) पुत्र सुरेश तिवारी नि0 अकारीपुर तिवरान थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
02– सोनू चौरसिया पुत्र कमलेश चौरसिया नि0 रेड़ीगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
03– कमलेश चौरसिया पुत्र रामहरि चौरसिया नि0 रेड़ीगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

<u>पुलिस टीम</u>	<u>स्वाट टीम–</u>
01. प्रभारी निरीक्षक नीरज बालिया थाना कंधई, प्रतापगढ़। 02. उ0नि0 महेन्द्र सिंह थाना कंधई, प्रतापगढ़। 03. उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार तिवारी थाना कंधई, प्रतापगढ़। 04. आरक्षी अरुण कुमार थाना कंधई, प्रतापगढ़। 05. आरक्षी जय प्रकाश थाना कंधई, प्रतापगढ़। 06. आरक्षी द्रवेश कुमार थाना कंधई, प्रतापगढ़। 07. आरक्षी जितेन्द्र सिंह थाना कंधई, प्रतापगढ़। 08. का0 सनोज, 09. का0 जागीर सिंह 10. का0 अरविन्द कुमार दूबे, 11. का0 दिग्विजय सिंह व 12. का0 अजय प्रकाश स्वाट टीम, प्रतापगढ़।	1– निरीक्षक मृत्युंजय कुमार मिश्रा प्रभारी । 2– निरीक्षक श्री संजय कुमार यादव। 3– उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह स्वाट टीम । 4– मु0आ0 सुरेश सिंह । 5– मु0आ0 जाहिद खान । 6– मु0आ0 महेन्द्र प्रताप । 7– मु0आ0 तहसीलदार तिवारी । 9– मु0आ0 पंकज दूबे । 10–मु0आ0 बिपिन बिहारी वर्मा । 11–का0 प्रवीण नैन ।12– का0 रवीन्द्र सिंह 13–का0 राजेन्द्र कुमार । 14– का0 सत्यम । 15– का0 चन्द्रगुप्त ।

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 19.02.2021 (कोतवाली नगर)

अपहरण कर हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री शिवहरी मीना के कुशल निर्देशन में अपराध एवं सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के थाना कोतवाली नगर पुलिस को मु0अ0सं0 37/21 धारा 363 भादवि व **बढोत्तरी धारा** 34, 302, 201, 120बी भादवि व 3(2)5 तथा 3(2)5क से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. हरिओम यादव उर्फ राज (उम्र लगभग 20 वर्ष) पुत्र राजेन्द्र यादव नि0 तारडीह, जैतीपुर कठार थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण–

01. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोबाइल फोन व 02 अदद सिम बरामद।

दिनांक 13.01.2021 को वादी श्री रामनाथ सरोज पुत्र स्व0 मोतीलाल सरोज नि0 खजोहरी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि उनकी पुत्री अंजली सरोज उम्र लगभग 17 वर्ष दिनांक 06.01.2021 को घर से विद्यालय के लिए निकली थी, जिसको अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बहला–फुसलाकर भगा ले जा जाया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0– 37/2021 धारा 363 भादवि का अभियोग बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। पिता के द्वारा **दिये गये संदिग्ध मोबाइल नम्बरों व विवेचना** से **03 आरोपी, 01. हरिओम यादव उर्फ राज व 02. राहुल यादव पुत्रगण राजेन्द्र यादव तथा 03. दीपमाला पत्नी राहुल यादव** निवासीगण तारडीह, जैतीपुर कठार थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री शिवहरी मीना द्वारा उक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली नगर पुलिस को कड़े निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री सुरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अभय कुमार पाण्डेय के निकट पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री रविन्द्र नाथ राय मय हमराह द्वारा घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों **हरिओम यादव उर्फ राज व 02. राहुल यादव पुत्रगण राजेन्द्र यादव तथा 03. दीपमाला पत्नी राहुल यादव** की गिरफ्तारी हेतु लगातार सम्भावित स्थानों पर चेकिंग/तलाश/दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 19.02.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र के रोडवेज बस अड्डे के पास से उक्त अभियोग से सम्बन्धित 01 अभियुक्त **हरिओम यादव उर्फ राज** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त हरिओम यादव उर्फ राज ने पूछताछ में बताया कि दि0– 06.01.2021 को अपने **भाई** राहुल यादव व **भाभी** दीपमाला की मदद से अंजली सरोज का अपहरण कर उसे थानाक्षेत्र कोहड़ौर के **चमरौधा नदी पुल के पास ले जाकर उसकी हत्या कर शव को छुपा दिया था।** अभियुक्त के बयान व साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 302, 201, 120बी, 34 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की बढोत्तरी कर अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी का प्रयास व अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस टीम– प्रभारी निरीक्षक रवीन्द्र नाथ राय, उ0नि0 कमलेश कुमार पाण्डेय, उ0नि0 दिनेश सिंह, आरक्षी धनन्जय कुमार, आरक्षी अनुराग शुक्ला, आरक्षी अमित कुमार यादव व आरक्षी श्री राम सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 19.02.2021

05 अदद देशी बम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

जनपद के थाना कोतवाली नगर से उ0नि0 विवेक मिश्रा मय हमराह द्वारा गस्त/चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र कोतवाली नगर के केपी कालेज ग्राउण्ड के पास से 01 अभियुक्त 01. मोहम्मद अरशद पुत्र मो0 मंसूर नि0 अजीत नगर शिशु मन्दिर स्कून के पीछे थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को 05 अदद देशी बम के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 156/21 धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।